प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र यादव उर्फ सुन्नी पुत्र श्री गुद्दर, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी महेन्द्र यादव उर्फ सुन्नी पुत्र श्री गुद्दर (दिनांक 11.07.2025 तक बन्दी की आयु 50 वर्ष 01 दिन) ग्राम-बधाई, थाना-बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। पुरानी हत्या व ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-24/2005 व 26/2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,(नव सृजित अस्थायी एक्स कैडर) गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 11.07.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष 08 माह तथा सपरिहार 17 वर्ष 06 माह 01 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, मविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में होने के कारण शान्ति बनी हुयी है। छूटने पर अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 11.07.2025 तक बन्दी की 50 वर्ष की आयु मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 11.07.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष 08 माह तथा सपरिहार 17 वर्ष, 06 माह 01 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा समयपूर्व की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र यादव उर्फ सुन्नी (बन्दी संख्या-67/2011) पुत्र श्री गुद्दर, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-378/2026/1788 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।